22/03/2023	पत्रावली पेश हुई। अपीलान्ट के अधिवक्ता सर्व श्री हसराज डेलू व श्री राधाकिसन स्वामी हाजिर राज्य की और से पैरोकारराज उपस्थित। बहस अपील अन्तिम रूप से सुनी गयी। निर्णय सुनाया गया। अपील अपीलान्ट में काफी बल होने एवं सधिकार रूप से प्रस्तुत होने से इसे आशिक रूप से स्वीकार की जाती है। तथा आदेश अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 15/05/1993 अवैध होने से 5 बीधा 11 बिस्वा भूमि की हद तक निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार राजस्व कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि मृतक मोहनलाल पुत्र डुगरदान मूल खातेदार द्वारा किये गये बैयनामा असल अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि न्यायालय में प्रस्तुत करवा कर उसकी जॉच करे। अपीलान्ट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधि सम्मत निर्णय लेवें। साथ ही क्रेता (रैस्पोडेन्टान) को भी नोटिस देकर उन्हे भी सुना जावें। विस्तृत निर्णय जुदागाना लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर वाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।
	उपखण्ड अधिकारी कोलायत जिला–बीकानेर